दिनांक 30.03.2022

पत्रांक-303/SAC

सत्र 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।

विषय-जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119/534 किमी0 196.00 से 276.00 सतपुली-श्रीनगर तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 32.553 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा0रा0, लो0नि0वि0, श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून पत्रांक- 2061/12-1 दिनांक 25-02-2022।

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं-

क्रम	त्रुटियां/कमियां	ज्वाब
1-	प्रस्ताव में ऑनलाईन अपलोड Authority Letter में अधिशासी अभियन्ता को वन भूमि हस्तान्तरण कार्य हेतु नामित यिा गया है, जबकि ऑनलाईन Part-1 के पैरा-A-3 में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु कपिल सिंह, सहायक अभियन्ता का नाम अंकित किया गया है। कृपया सही Aughority Letter प्रस्ताव में अपलोड करें एवं प्रस्ताव में भी संलग्न करें।	ऑनलाईन प्रस्ताव में सुधार कर दिया गया है।
2-	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-I (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले) में सभी सूचनायें पूर्ण रूप से भरी जाये।	प्रपत्र भाग- I में सभी सूचनायें पूर्ण रूप से भर दी गयी हैं।
3-	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-II में प्रभावित बांज वृक्षों की संख्या-199 अंकित की गई है, जबकि प्रपत्र भाग- III (वन संरक्षक द्वारा भरे गये) में प्रभावित बांज वृक्षों की संख्या- 200 अंकित है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय द्वारा किया जाना आपेक्षित है।
4-	प्रस्ताव में संलग्न बार-चार्ट स्पष्ट नहीं है, प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है। अतः पूर्व निर्मित मार्ग की (चौड़ाई अंकित करते हुये) प्रस्तावित परियोजना को भी बार-चार्ट में दर्शाया जाय एवं प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को निर्धारित रंगो से बार-चार्ट में दर्शाया जाय।	बार-चार्ट सुधार कर प्रपत्र Aditional Information के बार- चार्ट के नाम से अपलोड किया गया हैं
5-	प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न की जाय।	प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गयी है।

Lion Engineering

6–	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 23.2 जो कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित है में उपखण्ड स्तरीय प्रमाण–पत्र में दिनांक 29–07–2015 अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न ग्राम सभाओं की बैठक में वर्ष 2016–17 अंकित किया गया है। उपखण्ड स्तरीय प्रमाण–पत्र में तिथि ग्राम सभाओं की बैठक की तिथि बाद की अंकित की जाती है, स्थिति स्पष्ट करें। वन अधिकार से सम्बन्धित समस्त प्रमाण–पत्रों/प्रपत्रों में निर्धारित स्थान पर दिनांक एवं तिथि अंकित की जाय।	प्रारूप 6 का प्रपत्र **Aditional Information** में **SDLC** के नाम से अपलोड है।
7–	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र पूर्ण रूप से ऑनलाईन अपलोड नहीं किये गये हैं। कृपया VLC एवं SDLC की मीटिंग के मिनट्स सहित पूर्ण FRA प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में अपलोड किया जाय।	प्रारूप 7 का प्रपत्र पुनः पार्ट 1 के (II) (a) में अपलोड है।
8–	वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग– III व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–II में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या– 2406 अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव में वृक्षों के पातन से सम्बन्धित अन्य प्रमाण–पत्रों में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या कुल 2743 अंकित की गई है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय द्वारा किया जाना आपेक्षित है।
9–	उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डिजिटल एवं जियोरेफरेन्स मानचित्र एवं Kml File अपलोड नहीं की गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मानचित्र ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में भी संलग्न करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय द्वारा किया जाना आपेक्षित है।
10–	क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण–पत्र ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में भी संलग्न करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय द्वारा किया जाना आपेक्षित है।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें, एवं प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने के पश्चात् प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(सलाहकार) Lion Engineering

30.03.22

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर